ग्राम पंचायत चन्नौर, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 प्रस्तावना (क) :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चन्नौर, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमति मीना देवी	1-3-2013 से 22-1-2016
2	श्रीमति सीमा देवी	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री जगदीश राम	1-4-2013 से 21-9-2014
2	श्री रमन राय	22-9-2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चन्नौर के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	7(3)	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.06
	8	अनुदानों का उपयोग न करना	7.56
2	9	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय करना	2.46
3	12	सामान्य रोकड़ वही से आहरित की गयी राशि के वाउचर अभिलेख में न होना	1.28

4	13	IWMP रोकड़ वही से भुगतान की गयी राशि के वाउचर अभिलेख में न होना	0.19
5	15	Assessmentकार्य मूल्यांकन के बिना भुगतान करना	6.56
6	16	IWMP लाभार्थिओं से प्राप्त होने वाले भाग को प्राप्त न करना	0.47
7	17	रोकड़ वही को नियमों के विपरीत पूर्व प्रधान से सत्यापित करवाना	3.58
8	19	IWMPIWMP रोकड़ वही से अनुचित भुगतान करना	0.14
9	23	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	7.94

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत चन्नौर , विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार क0 ले0प0 द्वारा दिनांक 12-09-2016 से 16-09-2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2013-14	3/2014	11/2013
2014-15	2/2015	12/2014
2015-16	12/2015	3/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत चन्नौर , विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि ०प्र०)

शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217/2016 दिनांक 16-9-2016 द्वारा अनुरोध किया गया|

4 **<u>वितीय स्थिति:-</u>**

ग्राम पंचायत चन्नौर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **<u>स्व स्त्रौत :-</u>** ग्राम पंचायत चन्नौर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	104157	43095	147252	20435	126817
2014-15	126817	23175	149992	118718	31274
2015-16	31274	35188	66462	53050	13412

(2) **<u>अनुदान :-</u>**ग्राम पंचायत चन्नौर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	244369	1853584	2097953	1721750	376203
2014-15	376203	2010599	2386802	1965875	420927
2015-16	420927	1809456	2230383	1474704	755679

5 **<u>बैंक समाधान विवरणी :-</u>**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत चन्नौर द्वारा हिमाचल परदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹41312 का अंतर था| अत: पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें|

1. रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष **13412**

2 रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष **755679**

योग **<u>769091</u>**

<u>अन्तशेष का विवरण:-</u> दिनांक 31-03-2016 को बैंको में जमा तथा हस्तगत राशि के अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था|

क्र संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**
1	के. सी.सी. बैंक चन्नौर	50055886354	86
2	के. सी.सी. बैंक चन्नौर	50055886309	18
3	के. सी.सी. बैंक चन्नौर	50055886310	236
4	के. सी.सी. बैंक चन्नौर	50055886218	98
5	के. सी.सी. बैंक चन्नौर	50055886252	20
6	के. सी.सी. बैंक चन्नौर	50056770563	Nil
7	के. सी.सी. बैंक चन्नौर	20066000175	495432
8	के. सी.सी. बैंक चन्नौर	50050489168	40188
9	के. सी.सी. बैंक चन्नौर	50055886343	168156
10	के. सी.सी. बैंक चन्नौर	50055886102	23354
11	के. सी.सी. बैंक चन्नौर	5005588376	18
		Total	**727520**
	Cash in Hand		
		General Cash Book	106
		MNREGA	153
		IWMP	Nil
		Grand Total	**727779**

अंतर 769091-727779 = ₹41312

6 <u>निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना</u> :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया

गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

7 <u>पंचायत राजस्व की वसूली</u> :-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज[वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया| अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए|

(ii) <u>टॉवर शुल्क ₹6000 की वसूली न करना</u>

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या : पी सी एच -एच (2) 8 /99 दिनांक 9-11-2006 के द्वारा मोबाइल टॉवर स्थापित करने के लिए 4000 रुपये प्रति टॉवर की दर से शुल्क तथा 2000 रुपये प्रति टॉवर नवीनीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है| सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित BSNL **<u>BSNL कम्पनी के टॉवर</u>** से निम्नानुसार कोई भी शुल्क नहीं लिया गया जिसकी वसूली की जाए|

<u>वर्ष</u>	<u>विवरण</u>	<u>राशि</u>
11/2014	स्थापना	4000
2015-16	नवीनीकरण	2000
	योग	**6000**

8 <u>अनुदान ₹7.56 लाख का उपयोग न करना ;-</u>

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान 755679 रुपये उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते

हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

9 <u>प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹2.46 लाख का अधिक व्यय</u>

सचिव ग्राम पंचायत चन्नौर द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार MPLADS,TSC,DPO में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार ₹246018 ऋणात्मक दर्शाई गयी है| जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन MPLADS,TSC,DPO में अथवा किसी अन्य योजना से MPLADS,TSC,DPO का भुगतान करने के फलस्वरूप है| इस चूक का नियामानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाएं |

1 MPLAD 410

2 TSC 22981

3 DPO 22262

योग ₹246018

10 <u>रोकड़ वही का रख रखाव उचित प्रकार से न करना</u>

ग्राम पंचायत की रोकड़ वहिओं की जाँच तथा गणना करने पर पाया गया कि रोकड़ वहियों में योग गलत लगाये गये, बहुत ज्यादा कटिंग ,OVERWRITING की गयी है तथा प्रधान द्वारा इन्हें सत्यापित नहीं किया गया| कई मामलों में भुगतान वाउचर संख्या दर्शाई नहीं गयी है| मनरेगा की रोकड़ वही प्रधान द्वारा दिनांक 22-1-2016 से 31-3-2016 तक सत्यापित नहीं की गयी| अत: भविष्य में रोकड़ वही का रख रखाव नियमानुसार किया जाए।

11 <u>रसीदें जाँच हेतु प्रस्तुत न करना</u>

निम्नानुसार दर्शाए गये विवरण के अनुसार स्वयं स्त्रोतों से प्राप्त आय की रसीदें आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिनके अभाव में आय की जाँच उचित प्रकार से नहीं हो सकी|

<u>वर्ष</u>	<u>विवरण</u>	<u>राशि</u>	<u>टिप्पणी</u>
2013-14	गृह कर	33775	
2014-15	गृह कर	19650	
	गृह कर	3125	रसीद संख्या 359614 से 359700 तक प्रस्तुत नहीं की गयीं

12 <u>सामान्य रोकड़ वही से आहरित की गयी ₹1.28 लाख के वाउचर अभिलेख में न होना</u>

दिनांक 31-03-2016 को चेक संख्या 127644 के द्वारा ₹128400 आहरित किए गए तथा

रोकड़ वही में इसे अदायगी मस्टरोल दर्शाया गया परन्तु इससे संबन्धित मस्टरोल/भुगतान वाउचर अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। अत: इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत की जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 <u>IWMP रोकड़ वही से भुगतान की गयी ₹0.19 लाख के वाउचर पंचायत अभिलेख में उपलब्ध न होना</u>

निम्नानुसार दर्शाए गये भुगतान वाउचर द्वारा ₹19250 का भुगतान किया गया परन्तु भुगतान वाउचर अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे| अत: उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत की जाए|

वाउचर संख्या	दिनांक	विवरण(सीमेंट बैग)	राशि
शून्य	15-3-2015	35	8750
शून्य	5-5-2015	35	10500
		योग	**19250**

14 <u>सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना</u>

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियां अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता| इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

15 <u>Assessmenकार्य मूल्यांकन के बिना ₹6.56 लाख का भुगतान करना :-</u>

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य मूल्यांकन के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा | परन्तु जाँच में पाया गया कि परिशिष्ट 2 पर दिये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹655541 का भुगतान के बिना किया गया| अत: इस

अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए assessmentके बिना मूल्यांकन के भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए|

16 **IWMP लाभार्थिओं से प्राप्त होने वाले अंशदान की ₹0.47 लाख की वसूली न करना**

परियोजना निदेशक जिला जलागम विकास अभिकरण काँगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र क्रमांक 336-393 दिनांक 4/7/2012 के अनुसार "वाटरशेड परियोजना के लिए गांवों का चयन हेतु अनिवार्य शर्त वाटरशेड विकास निधि में लोगों द्वारा अंशदान किया जाना है| वाटरशेड विकास निधि में अंशदान केवल निजी भूमि पर निष्पादित एन आर एम कार्यों की लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा| तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में न्यूनतम अंशदान 5 प्रतिशत की गयी| इसके अतिरिक्त निजी भूमि पर अन्य लागत सघन कृषि प्रणाली कार्यकलापों जैसे मत्स्य पालन, बागबानी, कृषि, वानिकी, पशु पालन इत्यादि जैसे आजीविका सम्बन्धित किसानों को सीधे फायदा होता तो उनके लिए सामान्य वर्ग के किसानों का अंशदान 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थिओं का अंशदान 10 प्रतिशत होगा| जाँच में पाया गया कि निम्न मामलों में निजी भूमि पर निष्पादित करवाए गये वाटरशेड कार्यों के लिए जो कि पूर्ण हो चुके हैं लाभार्थिओं से अंशदान ₹46746 नहीं लिया गया जिसकी वसूली सुनिश्चित करने के अतिरिक्त अन्य मामलों की जाँच अपने स्तर पर करके अंशदान की वसूली सुनिश्चित की जाए|

निर्माण कार्य का नाम	**श्रेणी**	**भुगतान(रुपये)**	**दर(प्रतिशत)**	**अंशदान(रुपये)**
वाटरटैंक श्री अश्विनी कुमार	सामान्य	39957	10	3996
C/O crate work /protection wall khrkian jol from Jagdish Ram Land Ward No.6	सामान्य	49746	20	9950
C/O crate work Shiv mndir naala to both side Sh.Milkhi Ram House	सामान्य	164000	20	32800
		योग		**46746**

17 **रोकड़ वही को पूर्व प्रधान द्वारा सत्यापित करना**

ग्राम पंचायत चन्नौर की रोकड़ वहि यों की जाँच करने पर पाया गया कि प्रधान श्रीमति मीना देवी का कार्यकाल दिनांक 22-01-2016 तक ही था तथा दिनांक 23-01-2016 से नई प्रधान श्रीमती सीमा देवी का कार्यकाल आरम्भ हुआ परन्तु रोकड़ वहि यों को पूर्व प्रधान श्रीमति मीना देवी द्वारा दिनांक 31-03-2016 तक सत्यापित किया गया| इसके अतिरिक्त माह 3/2016 में निम्नानुसार राशि आहरित की गयी परन्तु भुगतान वोउचरों पर प्रधान द्वारा

भुगतान आदेश पारित नहीं किये गये| अत: इस प्रकरण को विशेष रूप से ग्राम पंचायत के उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है |

वाउचर संख्या	**मास**	**राशि**	**टिप्पणी**
समान्य रोकड़ बही			
44	3/2016	128400	भुगतान वाउचर उपलब्ध नही था
45	3/2016	2500	
46	3/2016	4448	
47	3/2016	48052	
48	3/2016	39449	
49	3/2016	111876	
50	3/2016	9860	
	3/2016	7640	
IWMP			
NIL	3/2016	5825	
	योग	**358050**	

18 **सामान्य रोकड़ वही से ₹118 का अधिक भुगतान करना**

वाउचर संख्या	**मास**	**राशि**
42	12/2014	8448

उपरोक्त भुगतान वाउचर के द्वारा मस्टरोल संख्या 15616 जिसका योग ₹8330 बनता है का योग ₹8448 लगाया गया जिस कारण ₹118 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए |

19 **IWMPIWMP रोकड़ वही से ₹0.14 लाख का अनुचित भुगतान करना**

दिनांक 2-12-2014 को ग्राम पंचायत प्रधान को 14470 रुपये का भुगतान किया गया तथा इस भुगतान को रोकड़ वही में ['अमानत प्रधान वापिसी] दर्शाया गया परन्तु रोकड़ वही की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान से कोई भी राशि प्राप्त नहीं की गई थी जिसे उन्हें वापिस किया जाना था। अत: इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए|

20 अदायगी आदेश(पे आर्डर) के बिना भुगतान करना ;-

ग्राम पंचायत के भुगतान वोउचरों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1)व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चेक द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्तत; हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता है| जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है| अत; नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए|

21 मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 104(2)(i)से (iv) के अनुसार ग्राम पंचायत चन्नौर की मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गये कार्यों मूल्यांकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गयी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया और न ही test check किया गया| अत: उक्त के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए।

22 मस्टरोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-

पंचायत चन्नौर द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्टरोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्टरोल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया अत: उक्त के अभाव में भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए।

23 पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी ₹7.94 लाख की मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट(3) व (4)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹794108 के स्टॉक स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया , जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया । जाँच में

यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया है| अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए |

मदों की सूचि परिशिष्ट (3) 446388

सीमेंट की सूचि परिशिष्ट (4) 347720

योग <u>794108</u>

24 <u>मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना</u>

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या :पी सी एच -एच (5) सी (15) 313 /89 दिनांक 16-7-2016 के अनुसार **"**ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पत्थर, सीमेंट लकड़ी आदि के क्रय के संदर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित क्यूबिक फुट के अनुसार परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनुसार जिसके उदाहरण **परिशिष्ट (3)** पर दिए गये है जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गयी किसी भी मद की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है| अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें|

25 <u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यो का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)

7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

26 **<u>प्रत्यक्ष सत्यापन :-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

27 **<u>लघु आपति विवरणिका:-</u>** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

28 **निष्कर्ष :-** ग्राम पंचायत में उपरोक्त दर्शाए गये पैरों में गम्भीर अनियमितताए पाई गयी हैं जो कि अधिकतर चयनित मासों से सम्बन्धित हैं | ग्राम पंचायत के उच्च अधिकारियों को सुझाव दिया जाता है कि ग्राम पंचायत के लेखाओं की विस्तारपूर्वक जाँच की जाने की आवश्यकता है।

हस्ता / –
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2)47 / 2016–खण्ड–1–224–227 दिनाँकः 18.01.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत चनौर, विकास खण्ड प्रागपुर, तहसील देहरा, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1(ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, तहसील देहरा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.